Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO-Sikar/Gen.-242/ 1164 Date: 31.01.2024

To,

The Registrar General,
National Green Tribunal (Cenral Zone Bench),
Bhopal

Sub:- Report of Joint Committee constituted in 178/2023 (CZ) in the matter of Daya Raam V/s State of Rajasthan & Others order dated 11.12.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal Cenral Zone Bench Bhopal.

Ref:- Order dated 11.12.2023 passed by Hon'ble NGT Cenral Zone Bench, Bhopal.

Sir,

With reference to above, please find enclosed here with report of Joint Committee for kind consideration.

Yours Sincerely,

Encl:- As above (32 Page)

Regional Officer

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सीकर

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

1

FACT SHEET OF O.A. NO. 178/2023 (CZ), DAYA RAAM V/S STATE OF RAJASTHAN & OTHERS ORDER DATED 11.12.2023 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 11.12.2023 and constituted a joint committee consisting:-

   1. One representative from the collector, District - Neem Ka Thana, Rajasthan.

   2. One representative from the State Pollution Control Board, Rajasthan.

   The committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to order dated 11.12.2023, District Collector appointed Sub Divisional Officer, Neem Ka Thana and State Pollution Control Board appointed Regional Officer, Sikar. Copy of appointment letter is submitted at **Annexure-1**

3. Joint committee visited site on 24.01.2024 along with representative of following departments :-

   i. ACF, Forest Department, Neem Ka Thana.

   ii. AME, Department of Mines and Geology, Neem Ka Thana.

   iii. Inspector, Transport Department, Neem Ka Thana.

   Committee visited site of mining leases at Village - Kalakota, there are 03 mining

lease. All the three mining lease were found non-operative and no illegal mining observed. There after all 03 stone crusher unit were visited at village Toda and found non-operative. Pollution control measures in 01 unit was found adequate and in 02 units upgradation work was under progress. Then committee visited village road passes through forest area and directed Forest Department to establish Choki with guard to stop passing of heavy vehicles through forest area.

The committee also took photograph of the site inspection and prepare moka report. A copy of Moka report dated 24.01.2024 is submitted at **Annexure-02**.

4. That Deputy Conservator of Forest, Sikar submitted factual report dated 23.01.2024. Forest Department has also established choki with guard in compliance of Joint Committee direction and submitted report dated 26.01.2024. A copy of the factual report dated 23.01.2024 & 26.01.2024 is submitted at **Annexure-**3.

iv. That Department of Mines & Geology, Neem Ka Thana submitted his factual report dated 29.01.2024, all the 03 mining leases with valid agreement and having no illegal mining. A copy of the factual report dated 29.01.2024 is submitted at **Annexure-**4.

v. State Pollution Control Board submitted factual report, all the 03 mining lease and

3

03 stone crusher are under valid consent, these stone crusher established at converted land for industrial purpose by competent authority, pollution control measures in 01 stone crusher found adequate and in 02 stone crusher upgradation work under progress. There for State Pollution Control Board has issued closure direction on 25.01.2024 and imposition of Environment Compensation is under processes. A copy of the factual report and closure direction dated 25.01.2024 is submitted at **Annexure-**5.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Rajveer Yadav)
Sub Divisional Officer
Neem Ka Thana
उपखण्ड अधिकारी
जिला नीमकाथाना (राज.)

(Neeraj Sharma)
RSPCB, Sikar
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सीकर

(4)
(ANNEX – I)

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (542) RPCB/Legal/NGT/2023 / 2775 Date: 02/01/2024

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Sikar

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal order dated 11.12.2023 in Original application No. 178/2023(CZ) Dayaraam Gurjar V/s State of Rajasthan & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by order dated 11.12.2023 directed inter-alia as follow:-

"5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

i. One representative from the Collector, District - Neem ka Thana, Rajasthan

ii. One representative from the State Pollution Control Board, Rajasthan.

6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

You are hereby nominated as member of the committee and also appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order and file the compliance report of order dated 11.12.2023. The Hon'ble NGT order dated 11.12.2023 is enclosed with this letter for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)
Member Secretary

Copy to following for information and for compliance of Hon'ble NGT order dated 11.12.2023

1. District Collector, Neem Ka Thana, Rajasthan

Member Secretary

RajKaj Ref
5260905

Signature valid
Digitally signed by N.Vijai
Designation: Member Secretary
Date: 2024.01.02 17:03:02 IST
Reason: Approved

राजिस्टर्ड (5)

राजस्थान– सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, नीमकाथाना (राज0)

क्रमांक:–राजस्व/2023/ दिनांक

आदेश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक NGT-CZB/Jud./2023/260 Bhopal Date: 13.12.2023 Original Application Number 178/2023(CZ) titled as Dayaram Gurjar Vs State of Rajasthan and others में पारित आदेश की अनुपालना में एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाना है जिसमें एक प्रतिनिधि जिला कलक्टर नीमकाथाना की तरफ से उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को नियुक्त किया जाता है तथा एक सदस्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान की ओर से नियुक्त किया जाना है। नियुक्त समिति स्थान का भ्रमण करेगी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, साथ ही की जाने वाली कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट 04 सप्ताह के अन्दर एनजीटी भोपाल को ईमेल आईडी ngtczbbho-mp@go.in पर "Form of Searchable PDF/OCR Support PDF में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान नोडल एजेन्सी होगा तथा सहयोग एवं Logistic Support समिति को उपलब्ध करवायेगा । समिति रिपोर्ट की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करेगी। इस प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 06.02.2024 नियत है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखते हुए रिपोर्ट प्रेषित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(श्रुति भारद्वाज)
जिला कलक्टर, नीमकाथाना

क्रमांक:– राजस्व/2023/02-04 दिनांक:– 03/01/24

प्रतिलिपि:– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को कमेटी का सदस्य नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि एनजीटी भोपाल के आदेशानुसार राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान से समन्वय स्थापित कर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि एनजीटी भोपाल के आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

जिला कलक्टर, नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

(6)

मौका पंचनामा

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जोन) भोपाल में विचाराधीन OA नं. 178/2023 दयाराम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य आदि एवं अन्य में पारित आदेश दि. 11-12-2023 की पालना में संयुक्त जांच दल एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा आज दिनांक 24-1-2024 को ग्राम कालाकोटा में स्थित खनन पट्टे एवं स्टोन क्रेसर्स एवं वन विभाग में स्थित रास्ता कालाकोटा से चान्दोली का मौका निरीक्षण किया गया। संयुक्त जांच दल एवं सम्बन्धित विभागों का विवरण निम्नानुसार है।

1. संयुक्त जांच दल

1. उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना (प्रतिनिधि जिला कलेक्टर)
2. क्षेत्रीय अधिकारी राज. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर।

सम्बन्धित विभाग

1. सहायक वन संरक्षक सीकर
2. सहायक खनि अभियन्ता नीमकाथाना
3. जिला परिवहन विभाग नीमकाथाना
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी पाटन

मौके पर उपस्थित होकर सम्बन्धित विभागों द्वारा सर्वप्रथम ग्राम कालाकोटा से चान्दोली रास्ता जो वनक्षेत्र से गुजरता है के मौके पर उपस्थित हुए। मौका निरीक्षण में उक्त रास्ते से व्यवसायिक वाहनों का परिवहन बन्द पाया गया। वन विभाग द्वारा पूर्व में उक्त रास्ते को खाई खुदवा कर जगह जगह अवरुद्ध किया हुआ पाया गया। मौके उपस्थित अधिकारियों द्वारा यह निर्णय किया गया कि उक्त रास्ते से अवैध परिवहन न हो इस बाबत वन विभाग की निगरानी में चौकी स्थापित करने के निर्देश दिए गये ताकि पालना सुनिश्चित की जा सके।

तत्पश्चात ग्राम कालाकोटा क्षेत्र में स्थित खनन पट्टा सं. 01/2019 श्री मनसा माता माइन्स, m.L सं. 04/2019 श्री देव माइन्स एवं 03/2019 श्री देव माइन्स कालाकोटा का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर खनन कार्य पूर्णतः बन्द पाया गया। खनिज विभाग

RO patan A.C.F. MVSI P.T.O.

द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र से बाहर अवैध खनन नहीं किया गया है एवं सभी खनन पट्टे वैध होना बताया गया।

तत्पश्चात ग्राम रोड़ा में स्थित स्टोन क्रेशर मैसर्स अलंकार माइन्स एवं स्टोन क्रेशर कम्पनी, मैसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर एवं जे.पी. इण्डिया नेचुरल रिसोर्सेज (नीलकण्ठ स्टोन क्रेशर) का निरीक्षण किया गया। सभी स्टोन क्रेशर नियमानुसार समपरिवर्तित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ में स्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान सभी स्टोन क्रेशर बन्द होना पाये गये। मैसर्स अलंकार माइन्स स्टोन क्रेशर कम्पनी राज्य प्रदूषण मण्डल से वैध सम्मति प्राप्त कर संचालित है। एवं मौके पर प्रदूषण नियंत्रण ~~व्यवस्था~~ हेतु समुचित व्यवस्था (वाटर एवं मशीनरी कवर शेड में, पानी के छिड़काव की उचित व्यवस्था, वायु रोधक दिवार इत्यादि) पाई गयी। मैसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर समपरिवर्तित भूमि पर होना पाया गया, तथा वैध सम्मति में पाया गया एवं प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था समुचित नहीं पाई गयी कार्य प्रगति पर होना पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि स्टोन क्रेशर कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही संचालित करें। मैसर्स जे.पी. इण्डिया नेचुरल रिसोर्सेज (नीलकण्ठ स्टोन क्रेशर) समपरिवर्तित भूमि पर होना पाया गया तथा वैध सम्मति में पाया गया एवं प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार का कार्य प्रगति पर पाया गया। उद्योग प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया की कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही क्रेशर संचालित किया जावे। मौके पर पाई गयी स्थिति के फोटोग्राफ लिए गये। मौका पंचनामा मौके पर बनाया गया एवं पर [illegible] हस्ताक्षर किए गये।

AME(GJ) NKT — A.C.F. Sikar — Amichand AME(NKT) — SDO NKt

RO RPCB Sikar — RO Patan — MVSL

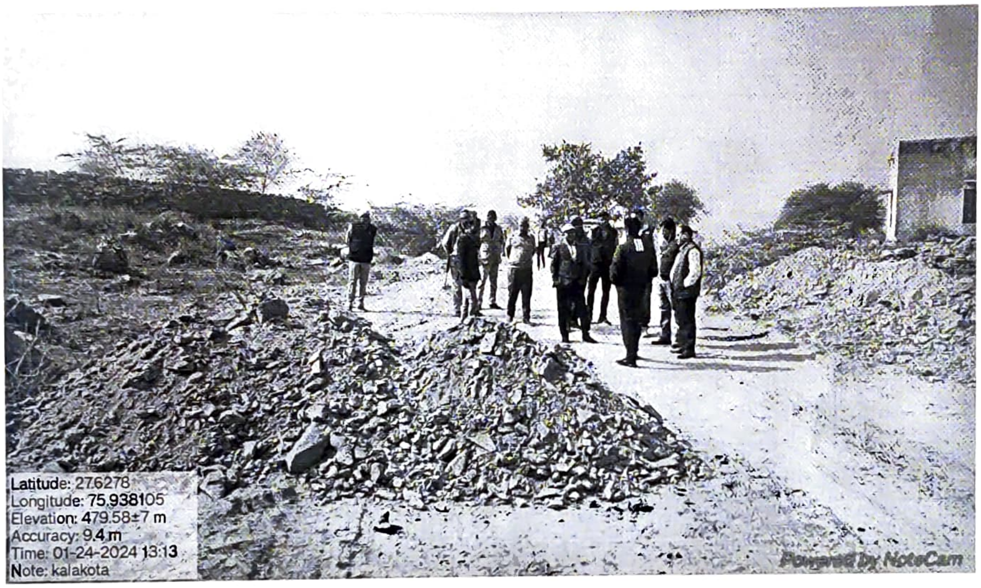

Village Road passes through Forest Area.

(9)

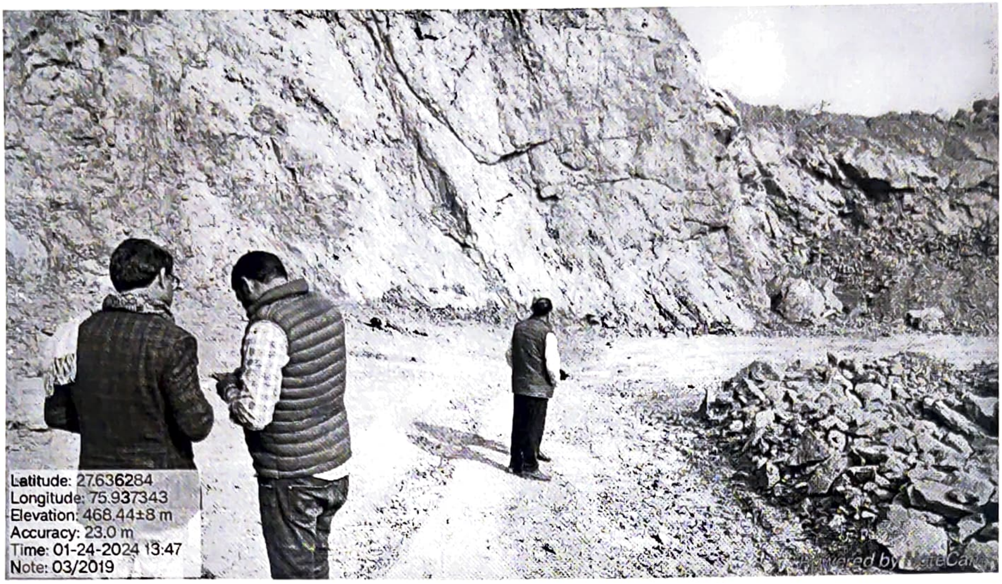

Mining Lease ML No. 03/2019

Mining Lease ML No. 04/2019

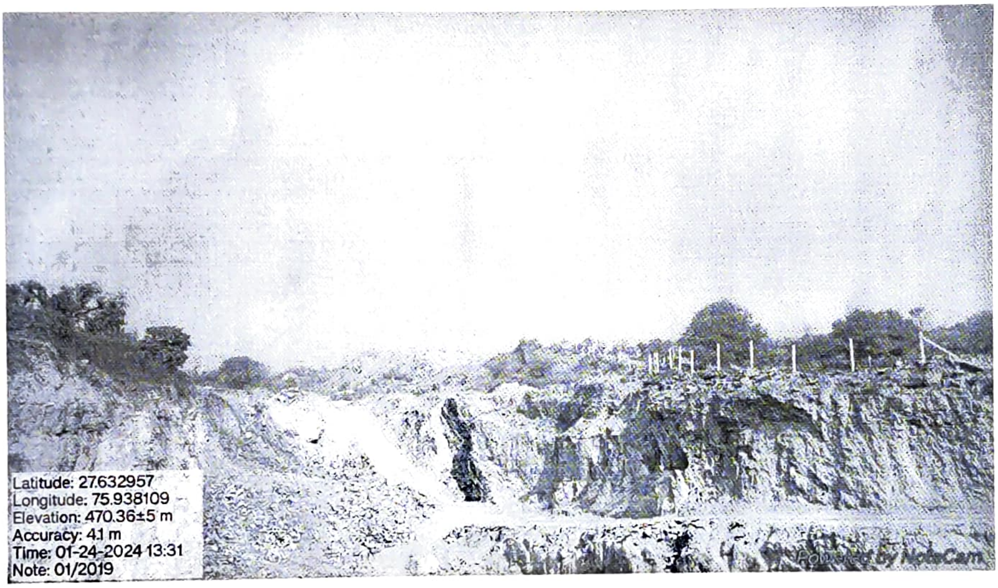

Mining Lease ML No. 01/2019

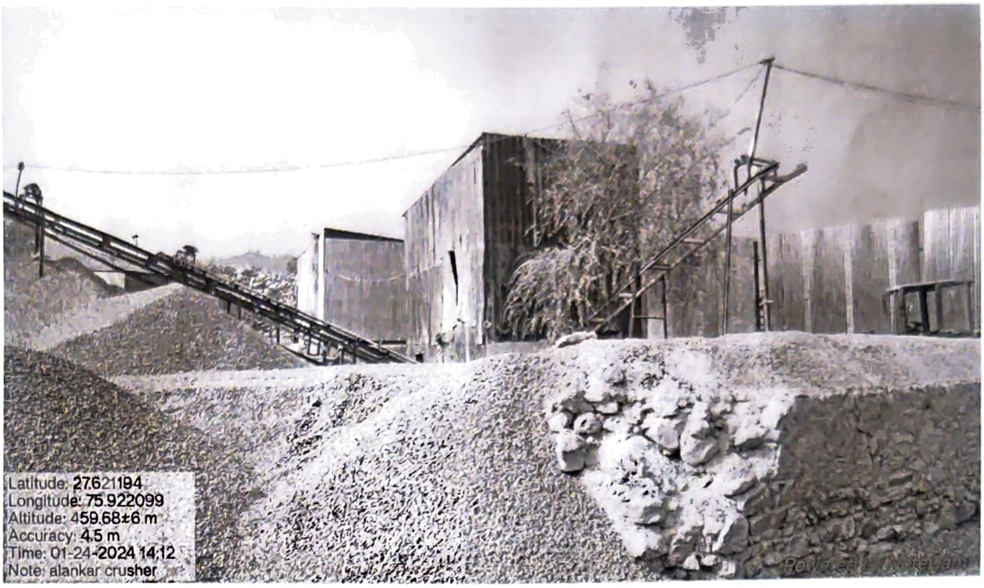

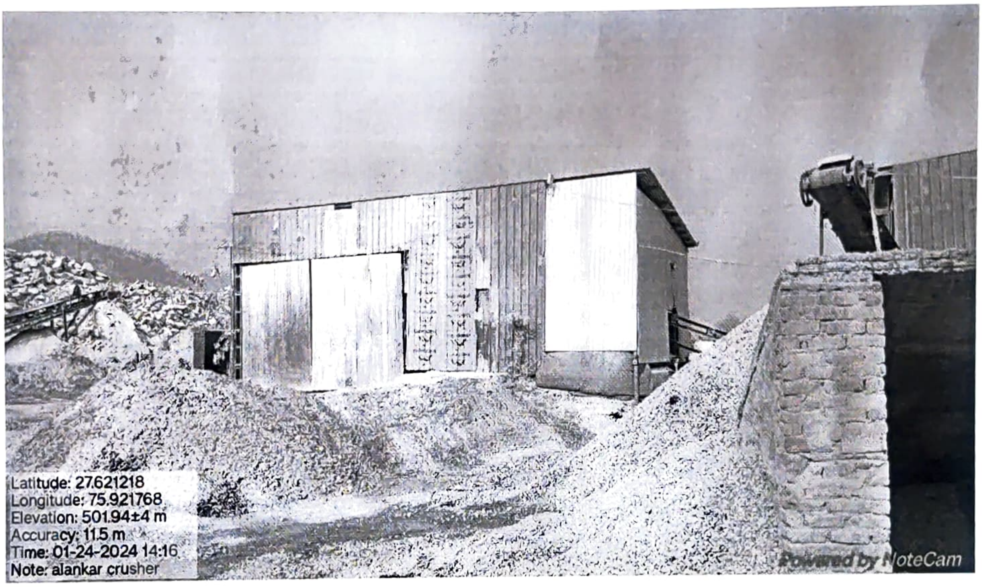

M/s Alankar Mines and Stone Crusher Co., Village - Toda

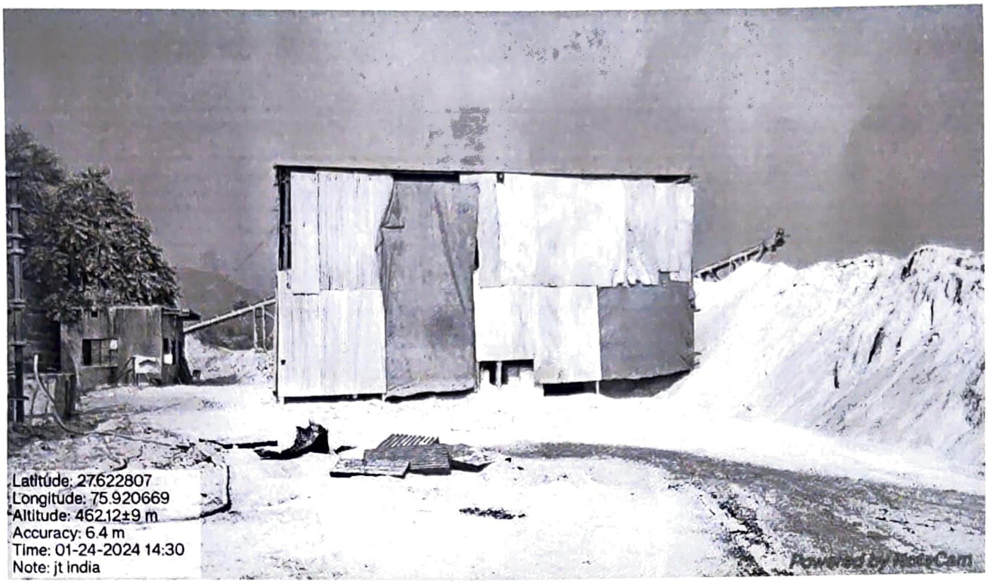

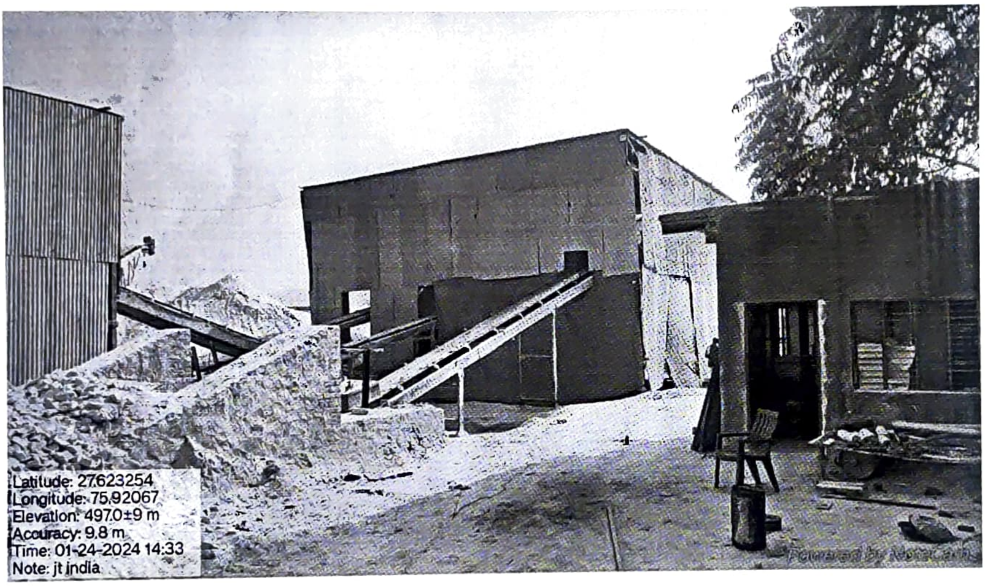

M/s JT India Natural Resources ., Village - Toda

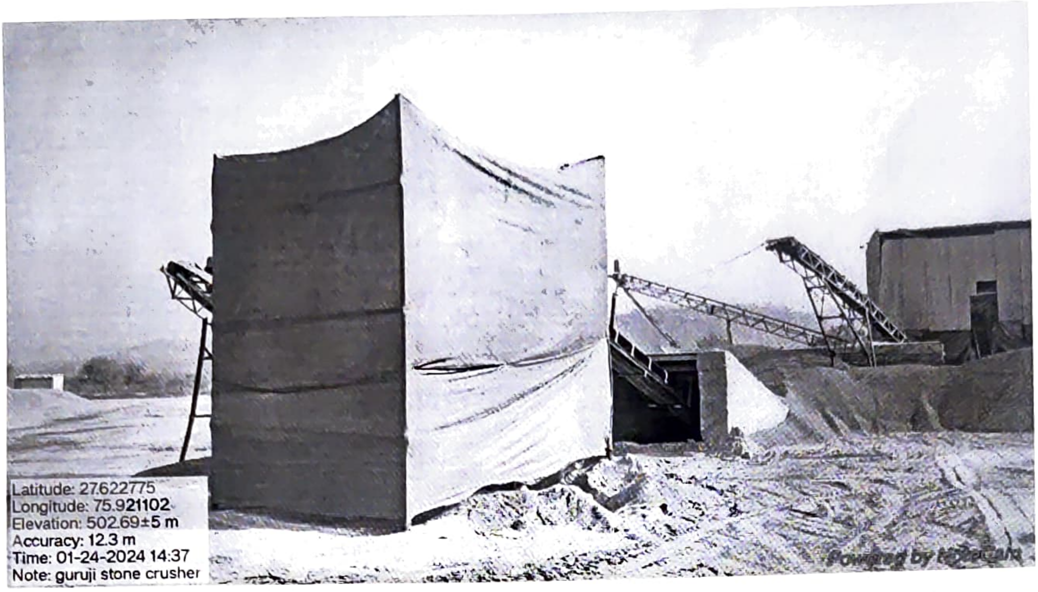

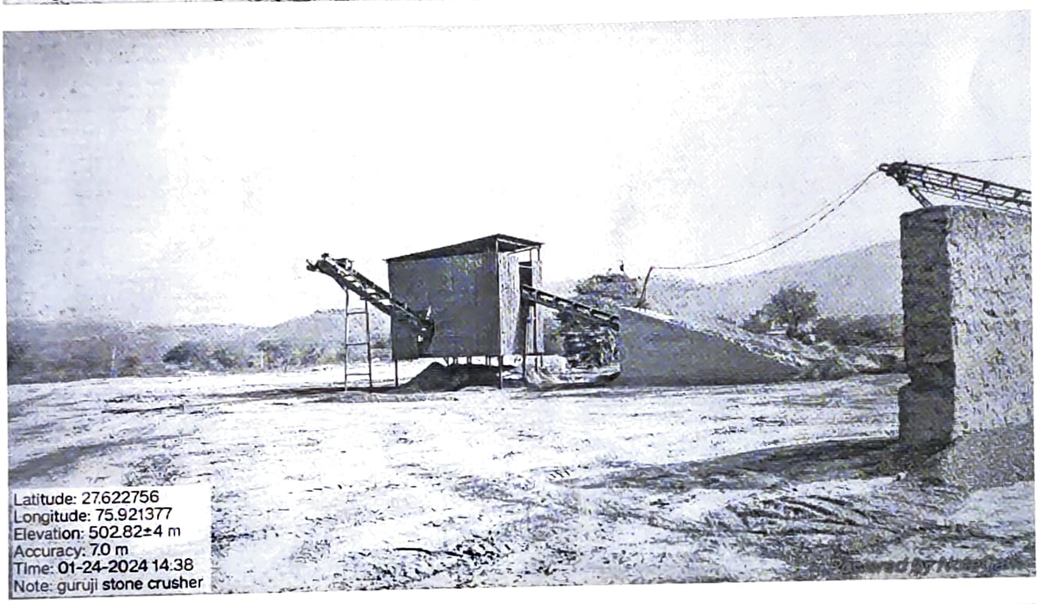

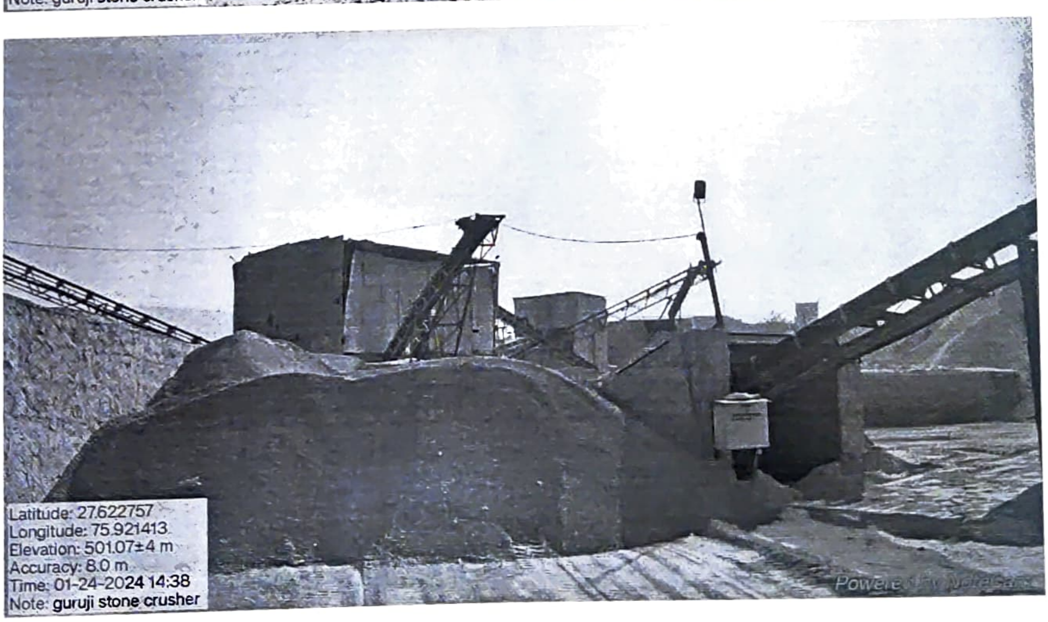

<u>M/s Guruji Stone Crusher, Village - Toda</u>

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

(14)

(ANNEX-3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001; Ph. No. 01572-274094; email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांकः– 779 दिनांक :–23/1/24

निमित्तः–

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल,
सीकर।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2023 ओ.ए. नंबर 178/2023 (सी.जेड.) दयाराम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य आदि व अन्य।

संदर्भः–आपका पत्रांक 1099 दिनांक 12.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न माननीय हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल में विचाराधीन ओ.ए. नंबर 178/2023 (सी.जेड.) दयाराम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य आदि व अन्य में इस विभाग के संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार संलग्न है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर

(15)

1. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 01 में आवेदक का नाम एवं पत्ते का उल्लेख है।
2. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 02 प्रतिवादीगण के नाम एवं पत्ते का उल्लेख है।
3. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 03 प्रार्थना पत्र के तथ्यों के विवरण से संबंधित है।
4. **प्रकरण से संबंधित तथ्यों का विवरणः–**

4.1 प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4.1 में अवगत कराया गया है कि ग्राम कालाकोटा के आस–पास का वन क्षेत्र अरावली हिल्स के अंतर्गत आता है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त ग्राम की भूमि गैर मुमकिन वन, बड़े व छोटे झाड़ का जंगल होना बताया है जिसमें वन क्षेत्र में अवैध रूप से रास्ता बनाकर ग्राम कालाकोटा में स्वीकृत खनन् पट्टों से निकले खनिज का अवैध रूप से निर्मित रास्ता से अवैध परिवहन किया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंधन है। वन क्षेत्र कालाकोटा से चांदोली (लगभग 2.5 किमी सीकर जिला) जाने वाला रास्ता काफी पुराना है जिसका उपयोग ग्राम टोडा, कालाकोटा, पावटा, चांदोली आदि ग्रामों के स्थानीय लोगों द्वारा आने जाने के रूप में किया जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग व्यवसायिक वाहनों द्वारा खनिज लीजों से निकले खनिज एवं क्रेशर संचालन से निकले उत्पादों रोड़ी व डस्ट का परिवहन अवैध रूप से करने की शिकायत प्रार्थी दयाराम गुर्जर से प्राप्त होने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाटन द्वारा वन क्षेत्र की गश्त करने पर दिनांक 21.08.2023 को उक्त वन क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते को जेसीबी मशीन से जगह जगह से काटकर अवरूद्ध कर दिया गया था तथा स्थानीय ग्रामवासियों के लिये आने जाने हेतु छोटा रास्ता छोड़ा गया तथा वन क्षेत्र से परिवहन करते हुये एक डंपर को जब्त कर वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एवजाना वसूल किया गया। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 01.12.2023 को कालाकोटा वन क्षेत्र की गश्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाटन एवं स्टाफ की उपस्थिति में की गई। गश्त के दौरान वन क्षेत्र से अवैध परिवहन करने में लिप्त दो वाहन डंपरों को जब्त किया गया एवं वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाहनों से एवजाना वसूल किया गया। वनक्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते कालाकोटा से चांदोली को जगह जगह से जेसीबी मशीन द्वारा काटकर अवरूद्ध कर दिया गया। वन क्षेत्र से होने वाले अवैध परिवहन को पूर्णतः रोक दिया गया है। उक्त रास्ते से स्थानीय लोगों का आना–जाना भी है इसलिए छोटे वाहन ट्रेक्टर आदि का रास्ता छोड़ा गया है। तत्पश्चात् दिनांक 21.12.2023 को वन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा कालाकोटा वन क्षेत्र की गश्त की गई। गश्त के दौरान उक्त रास्ते से व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध परिवहन करते हुये दो वाहन डम्पर जब्त किये गये। जिनके विरूद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये एवजाना वसूल किया गया। वन क्षेत्र कालाकोटा से चांदोली रास्ते के संबंध में संरपच ग्राम पंयाचत, टोडा ने लिखित में अवगत कराया कि उक्त रास्ते से ग्राम पावटा, चांदोली एवं उसके आस–पास के गांवों के स्थानीय लोगों द्वारा कालाकोटा ग्राम में स्थित दाउ धाम मंदिर में आने जाने का रास्ता भी उक्त रास्ता ही है जिसको पूर्णतः बंद नहीं किया जावे।(पत्र की प्रति संलग्न) तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2024 को सहायक वन संरक्षक, सीकर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाटन, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग द्वारा वन क्षेत्र कालाकोटा से चांदोली जाने वाले रास्ते की गश्त की गई जिसमें अवैध परिवहन करते हुये दो वाहन जब्त किये गये। जिनके विरूद्ध वन अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही की गई। अवैध परिवहन में लिप्त वाहन रेंज कार्यालय में खड़े किये गये। वन क्षेत्र से अवैध परिवहन के रास्ते को जेसीबी मशीन से खुदवाकर व्यवसायिक वाहनों के परिवहन को पूर्णत बंद कर दिया गया है। इस वन क्षेत्र से अवैध परिवहन करने पर कुल 07 वाहनों (डम्पर व ट्रोला) को जब्त कर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। जिनमें से 05 वाहनों से कुल 4,75,200 रूपये एवजाना प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाया गया है तथा 02 वाहनों में वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। कालाकोटा वन क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते का व्यवसायिक उपयोग वर्तमान में पूर्णत बंद है।

4.2 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.2 में ग्राम कालाकोटा में स्वीकृत खनन् पट्टों में अवैध खनन् एवं स्टोन केशरों के संचालन से वायु प्रदुषण होने के संबंध है। खनन् पट्टों में खनन् कार्य की स्वीकृति खनिज विभाग द्वारा दी जाती है। कालाकोटा वन क्षेत्र में कोई खनन् पट्टा स्वीकृत नहीं है। वनक्षेत्र से बाहर स्वीकृत खनन् पट्टों में अवैध खनन् की जानकारी सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना से लेना उचित होगा। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र कालाकोटा से चांदोली तक बनाये गये अवैध रास्ते से अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की रोकथाम एवं वनक्षेत्र की गश्त समय समय पर कर वन क्षेत्र से हो रहे अवैध परिवहन को रोकने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में उक्त रास्ते से कोई अवैध परिवहन व्यवसायिक उपयोग हेतु नहीं किया जा रहा है।

4.3 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.3 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग नहीं करने से संबंधित है। वन क्षेत्र कालाकोटा में खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत खनन् पट्टों में खनन् कार्य के दौरान निकला खनिज चेजा पत्थर का परिवहन कालाकोटा से चांदोली वन क्षेत्र के रास्ते से अवैध परिवहन पाये जाने पर वन विभाग द्वारा समय समय पर गैर वानिकी गतिविधियों में लिप्त व्यवसायिक वाहनों को जब्त कर वन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई। वर्तमान में वन क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते का कोई गैर वानिकी उपयोग व्यवसायिक वाहनों के परिवहन के लिये नहीं किया जा रहा है।

4.4 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.4 में वन क्षेत्र कालाकोटा से चांदोली तक अवैध रास्ते के निर्माण के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति नहीं लेने का उल्लेख किया है। उक्त वन क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते के संबंध में किसी भी एजेंसी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। वन क्षेत्र कालाकोटा के रास्ते से अवैध परिवहन की शिकायत पर गैर वानिकी कार्यो की रोकथाम क्षेत्रीय वन अधिकारी, पाटन द्वारा की गई है।

4.5 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.5 में ग्राम कालाकोटा में स्थापित स्टोन केशर से संबंधित है। उक्त स्टोन केशर निजी खातेदारी भूमि में स्थापित है। जिसके संबंध में राजस्व विभाग से सूचना लिया जाना उचित होगा।

4.6 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.6 में वनक्षेत्र कालाकोटा में स्थित रास्ते से व्यवसायिक वाहनों के परिवहन से संबंधित है। कालाकोटा वन क्षेत्र के रास्ते से अवैध परिवहन के संबंध में वन विभाग द्वारा समय–समय पर अवैध परिवहन रोकने की कार्यवाही की गई है। केशरों एवं लीजधारकों को सी.टी.ई./सी.टी.ओ. की कार्यवाही प्रदुषण नियत्रंण मंडल, सीकर द्वारा जारी की गई है। सी.टी.ई./सी.टी.ओ. में अधिरोपित शर्तो की पालना प्रदुषण नियंत्रण मंडल, सीकर द्वारा करवाई जाती है।

4.7 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.7 में अवैध केशर स्थापित करना एवं नियमों की पालना नहीं करने व अवैध खनन् का उल्लेख है। जो खनिज विभाग एवं प्रदुषण नियंत्रण मंडल से संबंधित है।

4.8 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.8 अवैध केशर संचालन एवं पर्यावरण नियमों की पालना नहीं करने एवं लीजधारकों द्वारा कर्मचारियों से रात–दिन खनन् कार्य एवं केशर संचालन कराना की रोकथाम करने का उल्लेख है जो वन विभाग से संबंधित नहीं है।

4.9 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.9 में आवेदक द्वारा पर्यावरण नियमों एवं परिवहन नियमों की पालना नहीं करने का उल्लेख किया गया है जो इस विभाग से संबंधित नहीं है।

4.10 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.10 प्रदुषण नियंत्रण मंडल एवं पर्यावरण मानदंडों एवं नियमों की पालना केशर संचालकों एवं लीजधारको से कराने का उल्लेख है जो इस विभाग से संबंधित नहीं है।

4.11 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4.11 केशर संचालन से हो रहे वायु प्रदुषण एवं पर्यावरण को नुकसान से संबंधित है जो इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

5.0 प्रार्थना पत्र के आधारः–

5.1 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5.1 में आवेदक द्वारा वन भूमि में अवैध स्टोन केशर यूनिट की स्थापना करना, संचालन करना, पर्यावरण नियमों की पालना कराने का उल्लेख है। वन भूमि में कोई केशर स्थापित नहीं है। केशर निजी खातेदारी भूमि पर स्थित है। केशर संचालन व पर्यावरण नियमों की पालना प्रदुषण नियंत्रण विभाग से संबंधित है।

5.2 प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5.2 केशर ईकाईयों की स्थापना लघु खनिज की खुदाई की अनुमति के संबंध में नियमों की पालना कराने का उल्लेख आवेदक द्वारा किया गया है। उक्त नियमों की पालना प्रदुषण नियंत्रण मंडल, सीकर द्वारा करवाई जाती है जो इस विभाग से संबंधित नहीं है।

5.3. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 5.3 आबादी क्षेत्र कालाकोटा से भारी वाहनों के आने जाने से वायु प्रदुषण एवं दुर्घटना होने से संबंधित है जो इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 माननीय हरित प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थनों पत्र के न्याय शुल्क से संबंधित है।

7. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 7 में आवेदक ने उक्त प्रकरण इस न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने के संबंध में उल्लेख किया है।

8. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 8 में आवेदक ने उक्त प्रकरण समयावधि में न्यायालय में प्रस्तुत किया है, के संबंध में है।

9. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 9 में उक्त प्रकरण समयावधि के भीतर न्यायालय में दायर करने के संबंध में है।

10. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 10 में आवेदक द्वारा प्रथमदृष्टया पर्यावरण के पक्ष में एवं सुविधा के संतुलन के संबंध में अरावली की पहाड़ियों में जंगल व पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति से संबंधित है। जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। चूंकि कालाकोटा वन क्षेत्र में कालाकोटा से चांदोली के रास्ते को व्यवसायिक वाहनों के उपयोग में नहीं लेने हेतु समय–समय पर वन विभाग द्वारा गश्त कर गैर वानिकी गतिविधियों में लिप्त वाहनों को जब्त कर वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर एवजाना वसूल किया गया है। वर्तमान में कालाकोटा वन क्षेत्र में गैर वानिकी गतिविधियां पूर्णत बंद है।

11. प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 11 आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के संबंध में है जो कानूनी है।

अतः प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब मय संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर

मौका पंचनामा

आज दिनांक 01/12/2023 को हमराह संबंधित वन अधिकारी पाटन हल्का वनपाल नाका प्रभारी जीलाला एवं बीट प्रभारी मय स्टाफ वन खण्ड गांवड़ी के ग्राम कालाकोट, गोड़ा, कु. आमलेरा नीमराणा मौजा मावलपुरा तंवरान के मौके पर उपस्थित हुये। मौके पर अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम कालाकोट खेड़ा की वन भूमि से एक रास्ता स्थानीय खानों से निकलने वाले खनिज के परिवहन को व्यवसायिक उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता वन भूमि में से बना हुआ है। जिसमें गैर-वानिकी उपयोग स्थानीय लोग ग्रामीणों एवं क्रेशर संचालकों द्वारा लिया जा रहा है। जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की प्रावधानों का उल्लंघन है।

वन भूमि में गैर-वानिकी उपयोग/कार्य पाये जाने पर JCB मशीन से अवैध बने रास्ते को खाई खुदवाकर रास्ते को अवरुद्ध किया गया तथा अवैध परिवहन करते हुये वाहन/डम्पर को मौके पर जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

श्रीमान उप वन संरक्षक सीकर पत्र क्रमांक 1312 दिनांक 07/11/2023 के अनुसार वन भूमि में बने अवैध रास्ते को JCB मशीन द्वारा खाई खुदवाकर अवरुद्ध किया गया। मौका पंचनामा मौके पर उपस्थित सभी के समक्ष पढ़कर सुनकर बनाया एवं सभी उपस्थित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षर)
हल्का वनपाल
जीलाला

(हस्ताक्षर)
श्री वनपाल
नाका जीलो

Rajkumar
Saini
Forester Patan

(हस्ताक्षर) वनरक्षक

(19)

मौका पंचनामा

आज दिनांक 21/12/2023 को परिवहन विभाग, पुलिस विभाग नीमकाथाना एव क्षेत्रीय वन अधिकारी पाटन, हल्का वनपाल की संयुक्त टीम ने ग्राम कालाकोटा, टोडा मे वन क्षेत्र कालाकोटा मे चांदोली पर गश्त के लिये मौके पर पहुंचे। गश्त के दौरान वन क्षेत्र मे से होकर अवैध परिवहन करते हुओ को, प्रकरण दर्ज कर राज० वन अधि० 1953 के तहत कार्यवाही की गई। वन क्षेत्र मे बने अवैध रास्ते को जेसीबी मशीन द्वारा खाई खुदवाकर रास्ते को अवरुद्ध करवाया गया। वन क्षेत्र में गैर-वानिकी कार्य करने एव वन क्षेत्र मे अवैध परिवहन करने वाले क्रेशर संचालको एव खनन पट्टाधारीयो को भविष्य नोटिस पाबंद किया जायेगा कि वन क्षेत्र मे किसी प्रकार गैर-वानिकी कार्य ना करें।

मौका पंचनामा मौके पर पढ़ सुनाकर बनाया गया उपस्थित सभी अधिकारी एव कर्मचारीयो ने हस्ताक्षर किये।

(Signature)
हल्का वनपाल
जीलाला

(Signature)
MUSI
R.T.O

(Signature)
P.S TODA

(Signature)
स० वनपाल
नाका - जीलो

हरिराम
वनरक्षक

(Signature)
RO patan

Rajkumar
Singh
Forester patan

मौका पंचनामा

श्रीमान उप वन संरक्षक सीकर के निर्देशानुसार ग्राम कालाकोटड़ा के वनक्षेत्र में बनाये गये अवैध रास्ते से खनन लीजों एवं स्टोन क्रेशर से निकला पत्थर एवं रोड़ी डस्ट का अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु निम्न अधिकारीगण एवं वन कार्मिकगण मौके पर उपस्थित हुए।

1. श्री श्रवणलाल सहायक वन संरक्षक सीकर
2. श्री महेश ओला तहसीलदार नीमकाथाना
3. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह नायब तहसीलदार नीमकाथाना
4. श्री मनोज कुमार मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी पाटन
5. श्री रोविन सिंह परिवहन निरीक्षक नीमकाथाना
6. श्री मूलचन्द कुमावत सर्वेयर वन विभाग
7. श्री राजेश कुमार मीणा पटवारी
8. श्री राम कुमार सिंह हल्का वनपाल

मौके पर उपस्थित होकर ग्राम कालाकोटड़ा के वनक्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण पर पाया गया की वनक्षेत्र कालाकोटड़ा से चान्दोली की तरफ वनक्षेत्र के अन्दर से रास्ता बनाया गया है उक्त रास्ते पर ग्राम टोडा आदि में स्थित खनन पट्टा क्षेत्रों से निकला खनिज व क्रेसरों से निकली रोड़ी व डस्ट का परिवहन व्यवसायिक प्रयोजन से किया जाकर वनक्षेत्र में गैर वानिकी गतिविधियां होना पाई गयी है दोरान गश्त मौके पर दो डम्पर वनक्षेत्र के अन्दर पाये गये जिनको मौके पर ही जब्त कर रेंज कार्यालय पाटन में खड़ा करने की कार्यवाही की गयी एवं वनक्षेत्र से निकाले गये अवैध रास्ते को कई जगह से खुदाई कर रास्ता बन्द किया गया तथा स्थानीय लोगों के लिए आने जाने हेतु रास्ता छोड़ा गया। हल्का वनपाल एवं वनरक्षक को पाबन्द किया गया कि उक्त वनक्षेत्र की गश्त बराबर करें एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि उक्त रास्ते का उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु किया जावे व रास्ते को पुनः चालु करने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जावे। मौका पंचनामा मौके पर बनाया गया एवं पढ़ सुनाकर हस्ताक्षर कराये गये।

[illegible]
Rajkumar
Forester
(राजकुमार सिंह वनपाल)

MVSI R.T.O

17.01.24 TDR NKT

RO Patan

मूलचन्द कुमावत सर्वेयर वन विभाग 17.1.2024

A.C.F. Sikar

कार्यालय ग्राम पंचायत,टोडा पं.सं.अजीतगढ

(21)

जिला-नीमकाथाना (राजस्थान)

प्रेषक :-	प्रेषिति :-
सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत टोडा मो.9672972800,9887672848	श्रीमान उपवन संरक्षक सीकर (राज.)

क्रमांक : SPC-1-2 दिनांक: 15/01/2024

निवेदन है कि ग्राम कालाकोटा- टोडा तहसील- नीम का थाना जिला सीकर (राज.) में ग्राम कालाकोटा से चौदोली तक आने-जाने का स्थानीय लोगों के लिए पुराना रास्ता बना हुआ है जो कि ग्राम कालाको से चौदोली तक लगभग 2 कि.मी. का रास्ता वन-भूमि में आता है उक्त रास्ते में किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है

ग्राम कालाकोटा से चौदोली (पावटा) आने का एक मात्र रास्ता यही है ग्राम कालाकोट में दाऊधाम का धार्मिक स्थल है जो पूरे राजस्थान में विख्यात है जिसके दर्शन के लिए दूर-दराज से लोगों के लिए आने-जाने का कालाकोट से चौदोली रास्ता जो वन-भूमि से आता है उसी से होकर श्रद्धालू मंदिर के दर्शन के लिए आते है

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त रास्ते को पूरा बन्द न करके स्थानीय लोगों के लिए आने-जाने के लिए छोटा रास्ता छोड़ते हुए वन-क्षेत्र में व्यवसायिक वाहनों को बंद करे, मौके पर कोई व्यवसायिक वाहन नहीं चल रहे है

सुनीता
सरपंच
ग्राम पंचायत टोडा
पं. स. अजीतगढ,
जि. नीमकाथाना (राज.)

(22)

कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी पाटन,सीकर

क्रमांक:-- 793 दिनांक:- 2.12.23

निमित:- श्रीमान उप वन संरक्षक
सीकर

विषय:- ग्राम कालाकोटा,पटवार हल्का-टोडा,भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांवलपुरा तंवरान,तहसील-नीमकाथाना,जिला सीकर में स्थित माइनिंग लीज संख्या 4/2019 व 5/2019 तथा स्टोन क्रेशर मैसर्स अलंकार स्टोन क्रेशर,मैसर्स नीलकंठ क्रेशर,मैसर्स गुरूजी स्टोन क्रेशर तथा ओवरलोड ट्रको से वन भूमि को संरक्षित करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 8660 दिनांक 21.08.2023,9818 दिंनाक 21.09.2023 एंव 11312 दिनांक 07.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस रेन्जाधिन वन खण्ड गांवड़ी के ग्राम कालाकोटा,टोडा,भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांवलपुरा तंवरान,तहसील-नीमकाथाना मे प्रार्थी कानाराम निवासी कालाकोटा के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम कालाकोटा,टोडा में वन भूमि में से खनन लीज धारको ने 10 कि.मी लंबा अवैध रास्ता बना रखा जिसमें से ओवरलोड वाहनो का प्रयोग किया जाता है। जिसके क्रम में दिनांक 21.08.2023 को जे.सी.बी मशीन द्वारा वन क्षेत्र कालाकोटा में बने अवैध रास्ते में खाई खुदवाकर रास्ते को अवरूद किया गया साथ ही दिनांक 21.08.2023 को रात्री के समय गश्त के दौरान एक डम्पर को अवैध परिवहन करते हुये सीज कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी। श्रीमान जी के आदेश पत्र क्रंमाक 11312 दिनाक 07.11.2023 के क्रम में दिनांक 01.12.2023 को वन क्षेत्र कालाकोटा,टोडा में बने अवैध रास्ते को जे.सी.बी मशीन द्वारा अवैध रास्ते में खाई खुदवाकर रास्ते को अवरूद किया गया तथा गश्त के दौरान 2 वाहनो/डम्पर को सीज कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

अतः श्रीमान जी को मौके की कार्यवाही रिपोर्ट एंव फोटोग्राफस मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

क्षैत्रीय वन अधिकारी
पाटन,सीकर

कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी पाटन,सीकर

क्रमांकः–   दिनांकः–

कार्यालय आदेश

माननीय राष्टीय हरति प्राधिकरण एन.जी.टी के आदेश ओ.ए. नम्बर 178 / 2023 एंव श्रीमान उप वन संरक्षक सीकर के आदेश क्रमांक कार्मिक 543–44 दिनांक 18.01.2024 के आदेशो की अनुपालना में इस रेन्जाधिन वन क्षेत्र कालाकोटा,टोडा में से होने वाले अवैध परिवहन भारी वाहनो के प्रवेश रोकथाम लगा दी गई है एंव मौके पर बेरिकेट्स बनाकर चेतावनी बोर्ड भी लगाये गये है,जिस पर नियमित गश्त करने हेतु श्री हरिराम गुर्जर वनरक्षक को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्य के साथ–साथ वन क्षेत्र कालाकोटा,टोडा में भारी वाहनो के प्रवेश पुर्णतया रोकथाम का कार्य भी सम्पादन करेगें। साथ ही वन क्षेत्र कालाकोटा में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य पाया जाता है या होना प्रतीत होता है तो तत्काल प्रभाव से इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करे। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते। साथ ही आपका मुख्यालय वनरक्षक चौकी जैतपुरा (नाका जीताला) में किया जाता है।

सलग्नः– मौका पंचनामा दिंनाक 26.01.2024 की प्रति।

भवदीय

क्षैत्रीय वन अधिकारी,
पाटन,सीकर

क्रमांकः– 89–92   दिनांकः– 26-1-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान उप वन संरक्षक, सीकर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. श्रीमान सहायक वन संरक्षक सीकर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
3. वनपाल नाका जीताला को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
4. श्री हरिराम गुर्जर वनरक्षक को दी जाकर लेख है कि आप अपने कार्य के साथ–साथ आपके अधिन बीट वन क्षेत्र कालाकोटा,टोडा में भारी वाहनो के बन्द रास्ते की समय–समय पर सूचना से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावे।
5. रक्षित प्रत्रावली।

क्षैत्रीय वन अधिकारी,
पाटन,सीकर

CS CamScanner

मौका पंचनामा

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जोन) भोपाल में विचाराधीन OA नं 178/2023 दमाराम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य आदि के मामले में पारित आदेश दिनांक 11.12.2023 की पालना में संयुक्त जांच दल एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा दिनांक 24/1/2024 को वन विभाग में स्थित रास्ता कालाकोटा से चान्दोली का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना में आज दिनांक 26/01/24 को वन क्षेत्र कालाकोटा टोडा से चान्दोली में अवैध बने रास्ते पर चेतावनी बोर्ड लगाया गया, उक्त रास्ते से अवैध व्यवसायिक वाहनों का परिवहन ना हो उस बाबत इस कार्यालय के पत्रांक 89-92 दिनांक 26/01/24 द्वारा श्री हरिराम गुर्जर, वनरक्षक को निगरानी हेतु आदेशित किया गया तथा रास्ते में जगह-2 मलबा डालकर रास्ते को जिग-जैग स्थिति में और अवरुद्ध किया गया, चौकी स्थापित कर एक कार्मिक को निगरानी हेतु लगाया गया, मौके पर व्यवसायिक वाहनों का परिवहन पूर्णत बन्द है।

मौके पर मौका पंचनामा बनाया गया एवं पढ़ सुनकर हस्ताक्षर किये गये।

हरिराम
वनरक्षक

(हस्ताक्षर)
RO
Patan

(हस्ताक्षर)
[illegible]
प्रतापगढ़
26.01.2024

(हस्ताक्षर)
हरिराम
स० वनपाल

Rajkumar
Singh
वनपाल जोगी

CS CamScanner

यह वन भूमि है। यहाँ पर
भारी वाहनों का प्रवेश
निषेध है। रास्ता बन्द है।

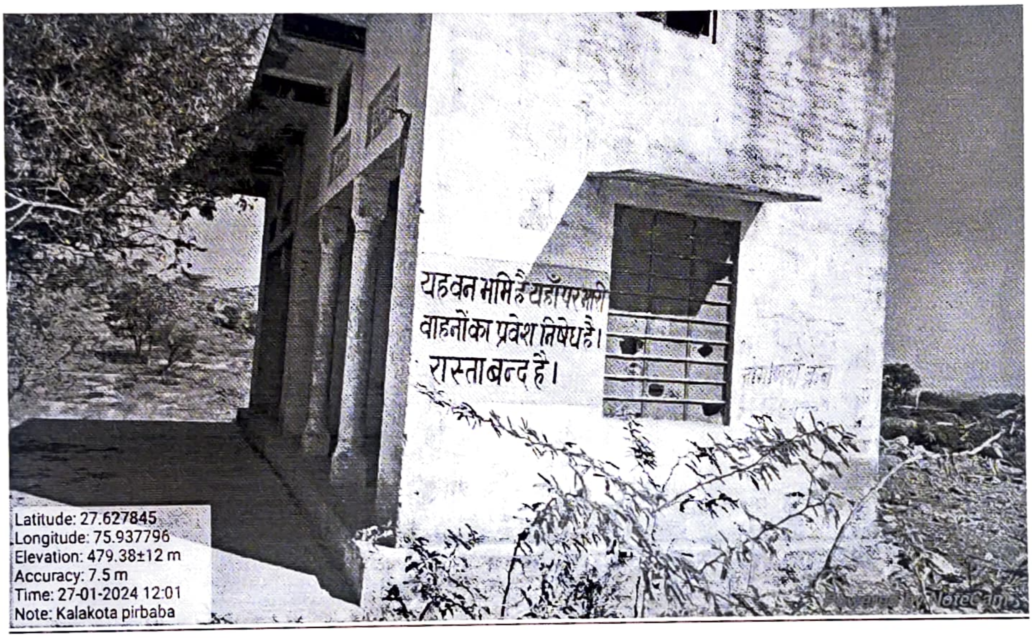
यह वन भूमि है यहाँ पर भारी
वाहनों का प्रवेश निषेध है।
रास्ता बन्द है।
Latitude: 27.627845
Longitude: 75.937796
Elevation: 479.38±12 m
Accuracy: 7.5 m
Time: 27-01-2024 12:01
Note: Kalakota pirbaba

यह वन भूमि है। यहाँ पर भारी
वाहनों का प्रवेश निषेध है।
रास्ता बन्द है।

(26)
(ANNEX-IV)

जरिये रजि.डाक/ई-मेल

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, नीमकाथाना

दूरभाष व फैक्स 01574-2318 e- mail:-ame.neemkathana@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- सखअ/नीम/सीसी-खाते./विविध/51 दिनांक: 29.01.2024

प्रेषिति :-

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सीकर।

विषय:-आपके पत्र क्रमांक:-राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य-242/1099 दिनांक 12.01.2024 माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 11.12.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्रांक से वांछित सूचना के क्रम में सयुंक्त कमेटी द्वारा राजस्व ग्राम कालाकोटा क्षेत्र में आने वाले खनन पट्टों का सयुंक्त मौका निरीक्षण दिनांक 25.01.2024 से किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खनन पट्टा संख्या	खनिज	पट्टाधारी का नाम	वैधता अवधि	ई.सी. दिनांक	उत्पादन क्षमता
1	2	3	4	5		6
1.	03/2019	मेसेनरी स्टोन	मैसर्स श्री देव माईन्स	दिनांक 09.04.2021 से 50 वर्ष	11.11.2020	488700 MT वार्षिक
2.	04/2019	मेसेनरी स्टोन	मैसर्स श्री देव माईन्स	दिनांक 07.04.2021 से 50 वर्ष	11.11.2020	116505 MT वार्षिक
3.	01/2019	मेसेनरी स्टोन	मैसर्स श्री मंशा माता माईन्स	दिनांक 09.04.2021 से 50 वर्ष	11.11.2020	142050 MT वार्षिक

उपरोक्त तालिका में अंकित वैध खनन पट्टों की सयुंक्त कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 25.01.2024 को किया गया है, जिनमें अवैध खनन कार्य नही पाया गया है तथा कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भी उक्त खनन पट्टों में वैधता अवधि से आदिनांक तक कोई अवैध खनन कार्य नही किया गया है। पट्टाधारी द्वारा कॉलम संख्या-06 में उल्लेखित उत्पादन क्षमतानुसार खनन पट्टा में वैध सी.टी.ओं. प्राप्त करने के उपरान्त आदिनांक तक 124267.33 MT खनिज का उत्पादन कर निर्गमन किया गया है।

भवदीय
29.01.2024
(अमीचन्द दुहारिया)
सहायक खनि अभियन्ता
नीमकाथाना

(ANNEX - V)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

(27)

FACTUAL REPORT OF O.A. No. 178/2023 (CZ), DAYA RAAM V/S STATE OF RAJASTHAN & OTHERS ORDER DATED 11.12.2023 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL.

There are 03 Mining leases at Village – Kalakota, Tehsil and District Neem Ka Thana having valid consent and Environmental Clearance. During visit all mining leases were found non-operative. These mining leases are non-operative last 02-03 months.

Board Official visited 03 stone crusher at Village – Toda M/s Ankar Mines & Stone Crusher Co., M/s Guruji Stone Crusher and M/s JT Indian Natural Resources are established at converted land for industrial purpose by competent authority. All 03 stone crusher were found under non-compliance. Show cause notice for intended revocation and closure direction were issued on 18.12.2023. All the stone crushers were again visited by joint committee on 24.01.2024, Pollution Control Measure in M/s Ankar Mines & Stone Crusher Co. was found adequate and in 02 stone crusher (M/s Guruji Stone Crusher and M/s JT Indian Natural Resources) upgradation work was not completed. There for State Pollution Control Board has issued closure direction on 25.01.2024 and imposition of Environmental Compensation is under process.

Details are submitted at Annexure-A

Annexure-A

Details of Mining Lease

Sr. No.	Name and Address of Mining Lease	Lease Validity	Consent Status	Remark
1.	M/s Shree Dev Mines, ML No. 03/2019, Village -- Kalakota, Tehsil & District Neem Ka Thana.	09.04.2021 to 50 Year	Valid	Non-operative
2.	M/s Shree Dev Mines, ML No. 04/2019, Village – Kalakota, Tehsil & District Neem Ka Thana.	07.04.2021 to 50 Year	Valid	Non-operative
3.	M/s Shree Mansa Mata Mines, ML NO. 01/2019, Village – Kalakota, Tehsil & District Neem Ka Thana	09.04.2021 to 50 Year	Valid	Non-operative

Details of Stone Crusher

Sr. No.	Name and Address of Unit	Land Conversion for Industrial purpose	Consent Status	PCM Status	Environmental Compensation	Action taken
1.	M/s Ankar Mines & Stone Crusher Co., Village – Toda, Tehsil & District Neem Ka Thaan	SDO Neem Ka Thana, vide letter dated 10.12.2010	Valid	Adequate	Under process	
2.	M/s Guruji Stone Crusher, Village – Toda, Tehsil & District Neem Ka Thaan	SDO Neem Ka Thana, vide letter dated 09.02.2009	Valid	Inadequate (Upgradation work in progress)	Under process	Direction closure of the unit issued on 25.01.2024.
3.	M/s JT Indian Natural Resources, Village – Toda, Tehsil & District Neem Ka Thaan	SDO Neem Ka Thana, vide letter dated 05.02.2010	Valid	Inadequate (Upgradation work in progress)	Under process	Direction closure of the unit issued on 25.01.2024.

(29)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Regd.

RPCB/RO-Sikar/NEE-117/ 1131-1133 Date: 25.01.2024

M/s Guruji Stone Crusher,
Village - Toda,
Tehsil & District Neem Ka Thana
Pin - 332705

Sub: Directions under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Ref.: Revocation of consent to operate issued vide letter dated 25.01.2024.

1. And where the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(hereinafter referred to as the "Air Act") and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 have come into force in whole of the country, w.e.f. 16.05.1981 and 23.06.1974 respectively.
2. And where the Water & Air Acts have been enacted to provide for the prevention, control and abatement of water and air pollution and for maintaining and restoringthe wholesomeness of water and air.
3. And whereas keeping this in view the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as the "Board") has been conferred power to take such steps as are deemed necessary for the prevention control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, under the provisions of Section 21 of the Air Act and Section 23 of water Act, no person shall without previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant/activity which is likely to cause water and air pollutionin environment.
5. And whereas, under the provisions of Section 21 of the Air Act and section 23 of Water Act no person discharge or cause or permit to be discharge/emission of any air/water pollutant in excess to the standards laid down by the state board.
6. And whereas **M/s Guruji Stone Crusher** (herein after referred as "the industry") is engaged in operating of stone crusher plant located at Toda, Tehsil & District - Neem Ka Thana.
7. And whereas unit was inspected by the Board officials on dated 01.11.2023 & 24.01.2024.
8. And whereas show cause notices for intended revocation of consent to operate under provision of section 21(4) of Air Act & intended closure direction under provisions of section 31A of Air Act was issued vide this office letter(s) dated 17.11.2023 & 18.12.2023 and you have failed to submit reply of these notice within stipulated time.
9. And whereas consent to operate issued to your unit vide letter dated 29.12.2020 has been revocked by this office vide letter under reference under the provisions of section 21(4) of of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
10. And whereas the industry has failed to comply with the provisions of the Air Act.

(30)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

11. And whereas the State Board may, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of 31A of the Air Act and in person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with suchdirections which includes the power to direct:-
    i) The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process.
    ii) Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.
    iii) Sealing of D.G. set(s), if any used for operation of industry.

Therefore, in order to stop non-compliance of the Air Act and the interest of perpetual offence being committed by the industry, and in exercise of the powers conferred upon it under section 31A of the Air Act and in performance of function under the Acts, the Board hereby directs you to, forthwith, close down your industrial unit **M/s Guruji Crusher, Village - Toda, Tehsil & District – Neem Ka Thana**.

It may be noted that failure of compliance of these directions, is a criminal offence, punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extended to six years and with fine under relevant sections.

Sincerely

Regional Officer

Copy to following for information and necessary actions for compliance of the directions:-

1. District Collector, Neem Ka Thana with a request to forthwith, secure closure of industrialunit.
2. Executive Engineer (O&M), Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Limited (AVVNL) Neem Ka Thana, District Neem Ka Thana with the directions under section 31(A) of the Air Act, 1981 to, forthwith, disconnect the supply of electricity to M / s Guruji Stone Crusher, Village- Toda, Tehsil & District – Neem Ka Thana. Confirm compliance of these directions as accomplishment thereof is binding upon you under the said Act.
3. Master File, RPCB, Sikar.

Regional Officer

(21)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Regd.

RPCB/RO-Sikar/NEE-117/ 1134-1136 Date: 25.01.2024

M/s JT India Natural Resources,
Khasra No. 2748/3/3, Village – Toda,
Tehsil & District Neem Ka Thana
Pin – 332705

Sub: Directions under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Ref.: Revocation of consent to operate issued vide letter dated 25.01.2024.

1. And where the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(hereinafter referred to as the "Air Act") and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 have come into force in whole of the country, w.e.f. 16.05.1981 and 23.06.1974 respectively.
2. And where the Water & Air Acts have been enacted to provide for the prevention, control and abatement of water and air pollution and for maintaining and restoringthe wholesomeness of water and air.
3. And whereas keeping this in view the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as the "Board") has been conferred power to take such steps as are deemed necessary for the prevention control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, under the provisions of Section 21 of the Air Act and Section 23 of water Act, no person shall without previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant/activity which is likely to cause water and air pollutionin environment.
5. And whereas, under the provisions of Section 21 of the Air Act and section 23 of Water Act no person discharge or cause or permit to be discharge/emission of any air/water pollutant in excess to the standards laid down by the state board.
6. And whereas **M/s JT India Natural Resources** (herein after referred as "the industry") is engaged in operating of stone crusher plant located at Toda, Tehsil & District – Neem Ka Thana.
7. And whereas unit was inspected by the Board officials on dated 01.11.2023 & 24.01.2024.
8. And whereas show cause notices for intended revocation of consent to operate under provision of section 21(4) of Air Act & intended closure direction under provisions of section 31A of Air Act was issued vide this office letter(s) dated 17.11.2023 & 18.12.2023 and you have failed to submit reply of these notice within stipulated time.
9. And whereas consent to operate issued to your unit vide letter dated 10.05.2022 has been revocked by this office vide letter under reference under the provisions of section 21(4) of of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, E-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

10. And whereas the industry has failed to comply with the provisions of the Air Act.
11. And whereas the State Board may, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of 31A of the Air Act and in person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with suchdirections which includes the power to direct:-
    i) The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process.
    ii) Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.
    iii) Sealing of D.G. set(s), if any used for operation of industry.

Therefore, in order to stop non-compliance of the Air Act and the interest of perpetual offence being committed by the industry, and in exercise of the powers conferred upon it under section 31A of the Air Act and in performance of function under the Acts, the Board hereby directs you to, forthwith, close down your industrial unit **M/s JT India Natural Resources, Village - Toda, Tehsil & District – Neem Ka Thana**.

It may be noted that failure of compliance of these directions, is a criminal offence, punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six months but which may extended to six years and with fine under relevant sections.

Sincerely

Regional Officer

Copy to following for information and necessary actions for compliance of the directions:-

1. District Collector, Neem Ka Thana with a request to forthwith, secure closure of industrialunit.
2. Executive Engineer (O&M), Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Limited (AVVNL) Neem Ka Thana, District Neem Ka Thana with the directions under section 31(A) of the Air Act, 1981 to, forthwith, disconnect the supply of electricity to M /s JT India Natural Resources, Village- Toda, Tehsil & District – Neem Ka Thana. Confirm compliance of these directions as accomplishment thereof is binding upon you under the said Act.
3. Master File, RPCB, Sikar.

Regional Officer